प्र | निग० | रीवा | 2018 | 02 | 88

(3)

न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश

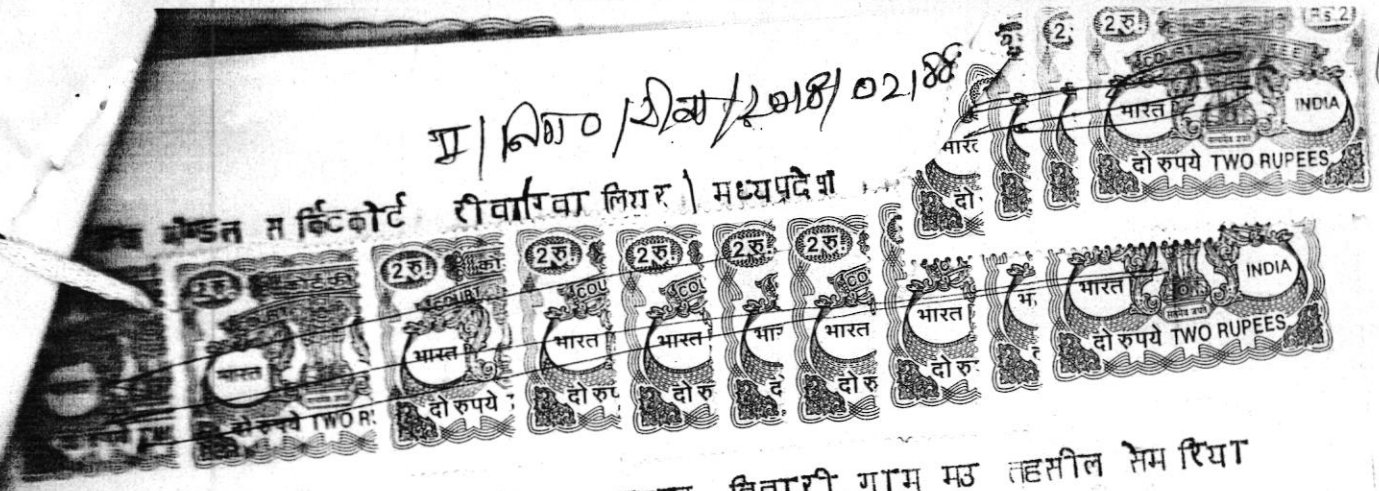

जगदीश प्रसाद पिता श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी ग्राम मउ तहसील सेमरिया

जिला रीवा म.प्र. -- आवेदक

बनाम

अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह. सिरमौर जिला रीवा म.प्र. -- अना.

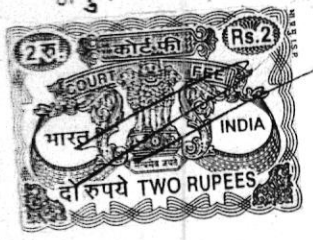

आवेदक श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, P.S.O. द्वारा पेश 04-4-18

निगरानी विरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय रीवा दि. 11-1-18 प्र. क्र. 123अ.बी 121 वर्ष 17-18 अन्तर्गत धारा 50 भू. रा.

सं. 1959 ई --

क्लर्क आफ कोर्ट
आयुक्त मण्डल म० प्र० रीवा
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर

आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है -

1- यह कि विद्वान अपर जिलाध्यक्ष महोदय प्र. क्र. 123 अपील 121 वर्ष 17-18 दिनांक 11-1-18 विधि के विपरीत है जो निरस्त नीय है।

2- यह कि विद्वान अपर कलेक्टर महोदय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-10-17 समुचित कारण पुर्नस्थापन आवेदन मे नउल्लेख किया जाकर मान्य किया गया है। निर्णय विधिक त्रुटिरहित मानने मे भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय - सिरमौर के आदेश दिनांक 31-10-17 मे यह लेख नही है। वह बिना प्रार्थना पत्र देखे ऐसा निष्कर्ष अपील कोर्ट नही निकाल सकती है। और न ही अपनी तरफ से - निम्न न्यायालय के आदेश मे जोड़कर निष्कर्ष निकाल सकती है। इस कारण प्रारम्भिक प्रचलन शीलता पर ही निरस्तगी का आदेश विधि के विपरीत है।

3- यह कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय मे दिनांक 24-8-02 मे आ.नं. 252 स्थित ग्राम बरबाह तहसील सिरमौर के बन्दोबस्ती रकबा 1.44 ए. सुधारने का, 0.17ए. कम हो गया था। यह प्रकरण धारा 113 भू. रा. सं. के - - - - किया गया था। प्रकरण मे तर्क हेतु तारीख नियत की गई थी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(38)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

दो/निग./18/2188/रीवा — जगदीश प्रसाद तिवारी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–2018	आवेदक श्री जगदीश प्रसाद तिवारी स्वयं उपस्थित हुये, उन्हें कायमी पर सुना गया । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया । अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक द्वारा विलम्ब का समुचित कारण स्पष्ट नहीं किया था । इसी कारण अपर कलेक्टर ने दिनांक 11.01.2018 को अपील प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त की है। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में आवेदक द्वारा निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत की है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु समय म्याद अधिनिमय की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रकरण में ग्राह्य के पर्याप्त आधार न होने से अग्राह्य किया जाता है । 3/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। 20/6/18 सदस्य	